BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 20 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास करने के 04 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- मोनिस पुत्र मोबीन, 2- अफसर पुत्र हनीफ, 3- मोबीन पुत्र शहीद, 4- हनीफ पुत्र शहीद निवासीगण कस्बा व थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में दुकान में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर धारदार हथियार से वार कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.06.2016 को थाना खानपुर पर मुअसं-89/16 धारा-307,324,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 30.08.2016 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 20.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-12, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने परअभियुक्त मोनिस, अफसर, मोबीन व हनीफ को 05-05 वर्ष का कारावास व 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार मलिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर